न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ

पीठासीन अधिकारी–हरिसिंह मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : – डिक्री 123 सन् 2022
पंजीयन दिनांक :– 29.08.2022

हरिसिंह पिता रायसिंह जाति राजपूत निवासी ढुकरावा तहसील व जिला चित्तौड़गढ

–अपीलांट/प्रतिवादी सं. 3

विरूद्ध

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर चित्तौड़गढ जिला चित्तौड़गढ
2. अबेसिंह उर्फ अभयसिंह पिता रायसिंह जाति राजपूत निवासी ढुकरावा –मृतक के बजाय
   1. प्रतापसिंह पिता अभयसिंह जाति राजपूत निवासी ढुकरावा तहसील व जिला चित्तौड़गढ
   2. रघुवीरसिंह पिता अभयसिंह जाति राजपूत निवासी ढुकरावा तहसील व जिला चित्तौड़गढ
   3. रणजीतसिंह पिता अभयसिंह जाति राजपूत निवासी ढुकरावा तहसील व जिला चित्तौड़गढ
   4. दुर्गेशसिंह पिता अभयसिंह जाति राजपूत निवासी ढुकरावा तहसील व जिला चित्तौड़गढ
   5. भंवर कंवर पिता अभयसिंह जाति राजपूत निवासी ढुकरावा तहसील व जिला चित्तौड़गढ
   6. भंवर कंवर पिता अभयसिंह जाति राजपूत निवासी ढुकरावा तहसील व जिला चित्तौड़गढ
   7. रतन कंवर पिता अभयसिंह जाति राजपूत निवासी ढुकरावा तहसील व जिला चित्तौड़गढ
   8. गोविन्द कंवर पिता अभयसिंह जाति राजपूत निवासी ढुकरावा तहसील व जिला चित्तौड़गढ
   9. कंचन कंवर पिता अभयसिंह जाति राजपूत निवासी ढुकरावा तहसील व जिला चित्तौड़गढ
   10. भूमिधारी तहसीलदार चित्तौड़गढ जिला चित्तौड़गढ
   11. भूमि विकास बैंक लिमिटेड चित्तौड़गढ जरिये प्रबन्धक भूमि विकास बैंक शाखा चित्तौड़गढ तहसील व जिला चित्तौड़गढ

–रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ
प्रकरण संख्या 95/2006 वाद निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.11.2008

उपस्थित :– 1. रतनलाल कुमावत– अधिवक्ता अपीलान्ट
2. राजेन्द्र कुमार राजोरा– अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 2/1 से 2/4
3. पूरणमल स्वर्णकार– राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 3
4. रेस्पोडेन्ट सं. 2/5 से 2/9 एवं 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित

निर्णय **दिनांक:– 24.01.2023**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में रेस्पोडेन्ट सं. 2 वादी ने अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 1,3 व 4 प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ढुकरावा तहसील चित्तौड़गढ मे रेस्पोडेन्ट सं. 2

चित्तौड़गढ़ (राज.)

वादी के खाते व कब्जे की अन्य कृषि आराजीयात के साथ साबिक आराजी नम्बर 343/1 ख रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा व आराजी नम्बर 359 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा अवस्थित है। उक्त कृषि आराजीयात के नवीन भू-प्रबन्ध मे नवीन आराजी नम्बर 82 रकबा 1.44 हैक्टेयर बने है। अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 3 ने भू-प्रबन्ध के दौरान भू-प्रबन्ध अधिकारियो से मिलीभगत कर रेस्पोडेन्ट सं. 2 वादी को बिना नोटिस दिये, बिना वैध डिक्री लिये राजस्व रेकार्ड से इन्द्राज कटवाकर स्वयं अपने नाम दर्ज करवा ली। आराजी नम्बर 82 पर रेस्पोडेन्ट सं. 2 वादी का गत 50 वर्षो से भी अधिक समय से कब्जा पूर्ववत चला आ रहा है। अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 3 रेस्पोडेन्ट सं. 2 वादी का सगा भाई होकर उसके नाम पर नवीन आराजी नम्बर 82 उसके खाते मे दर्ज होने के कारण जबरन रेस्पोडेन्ट सं. 2 वादी का कब्जा छीनना चाहता है। दिनांक 04.02.2006 को अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 3 ने रेस्पोडेन्ट सं. 2 वादी से लडाई झगडा कर जबरन कब्जा छीनने की धमकियां दी। दिनांक 04.02.2006 को अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 3 द्वारा झगडा करने से वाद कारण पैदा होना बताते हुए घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का वादपत्र प्रस्तुत किया।

रेस्पोडेन्ट सं. 2 वादी की ओर से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे वादपत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 1,3 व 4 प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 3 व 4 प्रतिवादी सं. 2 व 4 दिनांक 27.09.2006 को बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट सं. 1 की ओर से पैरोकार सरकार व अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 3 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। जवाबदावा पेश करने का अवसर चाहा। रेस्पोडेन्ट सं. 1 प्रतिवादी सं. 1 व अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 3 दिनांक 11.06.2007 तक जवाब हेतु बराबर अवसर देने के उपरान्त दिनांक 11.06.2007 को रेस्पोडेन्ट सं. 1 प्रतिवादी सं. 1 व अपीलान्ट के अधिवक्ता उपस्थित नही होने से अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 1 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही का आदेश पारित कर पत्रावली वास्ते साक्ष्य नियत की गई। वादी रेस्पोडेन्ट सं. 2 की ओर से साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र पेश हुआ। विवादित कृषि आराजीयात की रेस्पोडेन्ट सं. 3 से मौका रिपोर्ट तलब की जाकर उक्त पत्रावली मे बहस सुनी जाकर रेस्पोडेन्ट सं. 2 वादी का वादपत्र प्रमाणित होना मानते हुए निर्णय व डिक्री पारित किये गये।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 10.11.2008 से असंतुष्ट होकर अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 3 ने इस न्यायालय में प्रथम अपील म्याद बाहर प्रस्तुत की, जिसके साथ प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम, 1963 मय शपथ-पत्र प्रस्तुत किया।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण वादी व प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 2/1 से 2/4 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुये। रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 3 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट सं. 2/5 से 2/9 व रेस्पोडेन्ट सं. 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब कर संलग्न पत्रावली की गई व पत्रावली वास्ते बहस अन्तिम नियत की गई।

राजस्व अपील अधिकारी
चित्तौडगढ़ (राज.)

अधिवक्ता अपीलान्ट प्रतियादी सं. 3 ने अपनी बहस में अपील मेमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 3 को अपने पिता रायसिंह से विरासत मे कृषि आराजीयात मिली है उन्ही के साथ आराजी नम्बर 82 रकबा 1.44 हैक्टेयर पुश्तैनी रूप से मिली है। उक्त कृषि आराजीयात पर अपने पिता की मृत्यु के पश्चात विरासत से उपयोग उपभोग करता चआ आ रहा है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 3 के विरूद्ध एकपक्षीय निर्णय व डिक्री पारित करने मे भूल की है। अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 3 के भाई रेस्पोडेन्ट सं. 2 वादी ने अपीलान्ट के साथ धोखा करते हुए छल पूर्वक अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे वाद दायर कर नोटिस पंजीकृत डाक पर मिथ्या हस्ताक्षर करवाकर अपीलान्ट की मिथ्या प्राप्ति रसीद प्रस्तुत कर प्रदर्शित करवाई। मौका मुआयना भी मिलीभगत से करवा दिया जिसकी जानकारी अपीलान्ट को नही थी। पर्चा मौका अपीलान्ट की अनुपस्थिति मे बनाया गया है। सम्पूर्ण कार्यवाही एकपक्षीय होने से अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 3 को निर्णय व डिक्री की जानकारी नही थी। अपीलान्ट को पत्थरगढी करवाने हेतु राजस्व रेकार्ड माह जून जुलाई 2022 देखने पर मालूम हुआ कि उसकी कृषि आराजी रेस्पोडेन्ट सं. 2 के उत्तराधिकारियों के नाम दर्ज हो गई। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली से नकल प्रथम बार अभी दिनांक 22.07.2022 को ली एवं दिनांक 16.08.2022 को नकल प्राप्ति की दिनांक से अन्दर अवधि अपील पेश की । अपनी बहस के समर्थन मे आरआरडी 2016 पेज 160 सिविल टाईम्स 2018 पार्ट–2 पेज 317 प्रस्तुत कर जानकारी के अभाव में अपील मे पूर्व में हुये विलम्ब को क्षम्य किया जाकर अपील अन्दर म्याद मानते हुए स्वीकार की जाकर प्रकरण प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 2/1 से 2/4 वादी के वारिसान ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 3 को जरिये रजिस्टर्ड डाक से तामील होना प्रमाणित है। अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 3 ने अपनी ओर से पैरवी हेतु अधिवक्ता नियुक्त किये जिन्होने जवाब हेतु पर्याप्त अवसर लिये, उसके पश्चात् भी अपनी ओर से जवाबदावा प्रस्तुत नही किया व नियत तारीख पेशी को स्वयं व उसके अधिवक्ता अनुपस्थित रहने से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर रेस्पोडेन्ट सं. 2 वादी की साक्ष्य लिवाई जाकर रेस्पोडेन्ट सं. 2 वादी का वादपत्र प्रमाणित होना मानते हुए निर्णय व डिक्री पारित किये है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 3 को वादपत्र की पूर्णतया जानकारी रही है फिर भी प्रतिवादी सं. 3 अपीलान्ट ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय व डिक्री के विरूद्ध लगभग 14 वर्ष पश्चात् अपील प्रस्तुत की है, जिससे रेस्पोडेन्टगण की ओर से प्रस्तुत न्याय व्यवस्था आर.जे.टी.(सिविल) 2022 पार्ट–1 एस.सी. पेज 479 से 483 मे स्पष्ट किया गया है कि ''विलम्ब क्षमन हेतु पर्याप्त कारण स्पष्ट करने मे याची असफल रहे है।'' अपील इस एक मात्र आधार पर खारीज होने योग्य है। अन्त मे उक्त न्यायिक व्यवस्था के आधार पर अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 3 की ओर से प्रस्तुत अपील को म्याद के बिन्दु पर निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट 1 व 3 की ओर से अपनी बहस मे निवेदन किया गया कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 3 की प्रोपर तामील होकर अधिकार पत्र प्रस्तुत हुआ है। अधिवक्ता के द्वारा जवाब के लिये पर्याप्त अवसर भी लिये गये उसके पश्चात् अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 3 व उसकी ओर से नियुक्त

राजस्व ... अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

अधिवक्ता नियत तारीख पेशी पर उपस्थित नही होने से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा एक पक्षीय कार्यवाही का आदेश पारित कर रेस्पोडेन्ट सं. 2 वादी की साक्ष्य ली जाकर गुणावगुण पर रेस्पोडेन्ट सं. 2 वादी का वादपत्र प्रमाणित होना मानते हुए वादपत्र डिक्री किया गया है, जिसकी लगभग 14 वर्ष पश्चात् अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 3 ने अपील प्रस्तुत की है जो म्याद के बिन्दु पर निरस्त योग्य है।

हमने उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओ की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। रेस्पोडेन्ट सं. 2 वादी ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 1,3 व 4 प्रतिवादीगण के विरुद्ध घोषणा व इन्द्राज दुरुस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा का वादपत्र प्रस्तुत किया जिसे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 1,3 व 4 प्रतिवादीगण के सम्मन नोटिस जारी किये गये। अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 3 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए। जवाबदावे हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के पश्चात् भी जवाबदावा प्रस्तुत नही किया। दिनांक 11.06.2007 को अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 3 व उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही किये जाने के आदेश पारित किये उसके पश्चात् रेस्पोडेन्ट सं. 2 वादी की साक्ष्य ली जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने विवादित कृषि आराजीयात की तहसीलदार चित्तौड़गढ से मौका रिपोर्ट ली गई। रेस्पोडेन्ट सं. 2 वादी का वादपत्र प्रमाणित होना मानते हुए डिक्री किया गया। अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 3 द्वारा निर्णय व डिक्री के 13 वर्ष 9 माह 6 दिन पश्चात काफी विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गई है जिससे अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 2/1 से 2/4 की ओर से प्रस्तुत न्याय व्यवस्था आर.जे.टी.(सिविल) 2022 पार्ट-1 एस.सी. पेज 479 से 483 मे स्पष्ट किया गया है कि ''विलम्ब क्षमन हेतु पर्याप्त कारण स्पष्ट करने मे याची असफल रहे है।'' प्रस्तुत अपील इस एक मात्र आधार पर खारीज होने योग्य है जिससे गुणावगुण पर विवेचन किये गये बगैर अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम, 1963 स्वीकार योग्य नही होने से बिना गुणावगुण पर विवेचन किये म्याद के बिन्दु पर अपील अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 3 स्वीकार योग्य नही है।

फलस्वरूप अपील अपीलांट प्रतिवादी सं. 3 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम, 1963 मय शपथ पत्र अस्वीकार की जाकर अपील म्याद बाहर होने से निरस्त की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ के प्रकरण संख्या 95/2006 रेवेन्यू वाद मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 10.11.2008 यथावत रखे जाते है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24.01.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय व डिक्री की सत्यप्रति के साथ अविलम्ब लौटायी जावे।

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ (राज0)